



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 348]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 10, 2019/ज्येष्ठ 20, 1941

No. 348]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 10, 2019/JYAISTHA 20, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2019

सं. 22/2019-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 415(अ).—जहाँ कि केन्द्र सरकार ने सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहाँ से निर्यातित "पैरासीटामोल" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) जो कि उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अध्याय 29 के अंतर्गत आता है, के आयात पर अधिसूचना संख्या 26/2013-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 28 अक्टूबर, 2013, जिसे सा.का.नि. 710 (अ), दिनांक 28 अक्टूबर, 2013 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाया था;

और जहाँ कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 7/16/2018-डीजीएडी, दिनांक 25 अप्रैल, 2018, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत इस प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले

की समीक्षा की है और उन्होंने इस विषयगत वस्तु पर प्रतिपाटन शुल्क को 06 माह की अवधि तक बढ़ाए जाने की सिफारिश की थी;

और जहाँ कि निर्दिष्ट प्राधिकारी की सिफारिशों के आधार पर केन्द्र सरकार ने अधिसूचना संख्या 39/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 20 अगस्त, 2018, जिसे सा.का.नि. 786 (अ), दिनांक 20 अगस्त, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा उक्त अधिसूचना संख्या 26/2013-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 28 अक्टूबर, 2013 में संशोधन करते हुए उक्त विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु पर लगाए जाने वाले प्रतिपाटन शुल्क को 26 अप्रैल, 2019 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, बढ़ा दिया था;

और जहाँ कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु पर लगाए जाने वाले प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा के बारे में अधिसूचना संख्या 7/16/2018-डीजीएडी, दिनांक 29 जनवरी, 2019 में प्रकाशित दिनांक 29 जनवरी, 2019 के अपने अंतिम निष्कर्षों में उक्त विषयगत वस्तु के आयात पर लगाए जाने वाले प्रतिपाटन शुल्क को समाप्त किए जाने के लिए सिफारिश की थी :

और जहाँ कि इन अंतिम निष्कर्षों के आधार पर केन्द्र सरकार ने अधिसूचना संख्या 19/2019-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 16 अप्रैल, 2019, जिसे सा.का.नि. 309 (अ), दिनांक 16 अप्रैल, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 39/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 20 अगस्त, 2018 को निरस्त करते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी के उक्त अंतिम निष्कर्षों के अनुसार विषयगत वस्तु पर लगाए जाने वाले प्रतिपाटन शुल्क को समाप्त कर दिया था;

और जहाँ कि माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने एससीए संख्या 5278/2019 के मामले में अपने दिनांक 24.04.2019 के आदेश के द्वारा उपर्युक्त अधिसूचना संख्या 39/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 28.08.2018 को 24.06.2019 तक बढ़ाए जाने का निर्देश दिया था और जब उसको यह बताया गया कि उक्त अधिसूचना संख्या 39/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 20 अगस्त, 2018 को अधिसूचना संख्या 19/2019-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 16 अप्रैल, 2019 के द्वारा पहले ही रद्द कर दिया गया है तो माननीय उच्च न्यायालय ने इस मुख्य याचिका के अंतिम निपटान तक अधिसूचना संख्या 19/2019-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 16 अप्रैल, 2019 को आस्थगित कर दिया था;

और जहाँ कि माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने एससीए संख्या 5278/2019 के मामले में अपने दिनांक 09.05.2019 के आदेश के तहत पुनः यह निर्देश दिया था कि अधिसूचना संख्या 39/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 20.08.2018 को 26.06.2019 तक की और अवधि के लिए बढ़ा दिया जाए;

और जहाँ कि केन्द्र सरकार ने विशेष अवकाश याचिका (SLP) 13302-13304/2019 के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में उक्त आदेश को चुनौती दी है।

अतः अब, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित, उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 09.05.2019 को आए उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, गुजरात के माननीय उच्च न्यायालय और विशेष अवकाश याचिका (SLP) के अंतिम परिणाम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका में तय किए जाने वाले पक्ष और अधिकारों के पक्षपात के बिना, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 39/2018, सीमा शुल्क (एडीडी)

दिनांक 20 अगस्त, 2018, जिसे सा.का.नि. 786 (अ), दिनांक 20 अगस्त, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, अंक, अक्षर और शब्द "26 अप्रैल, 2019" के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द "24 जून, 2019" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 354/93/2001-टीआरयू (पार्ट.-4)]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 2019

No. 22 /2019-Customs (ADD)

G.S.R. 415(E).—Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), hereinafter referred to as the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination Injury), Rules, 1995, levied anti-dumping duty on imports of Paracetamol (hereinafter referred to as the subject goods) falling under Chapter 29 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country), *vide* notification No. 26/2013-Customs (ADD), dated the 28th October, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 710(E), dated the 28th October, 2013 for a period of 5 years from the date of publication in the Official Gazette;

Whereas, the designated authority, *vide* notification No. 7/16/2018-DGAD, dated the 25th April, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, initiated a review in the matter of continuation of anti-dumping duty and recommended the extension of the anti-dumping duty on the subject goods for a period of 6 months;

And whereas, on the basis of the recommendations of the designated authority, the Central Government had extended the anti-dumping duty on the subject goods, originating in or exported from the subject country up to and inclusive of the 26th April, 2019 *vide* notification No.39/2018-Customs (ADD), dated the 20th August, 2018, published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R 786(E), dated the 20th August, 2018 amending aforesaid notification No. 26/2013-Customs (ADD), dated the 28th October, 2013;

And whereas, the designated authority in its final findings dated 29th January, 2019, published *vide* notification No. 7/16/2018-DGAD, dated the 29th January, 2019, in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, regarding the review of anti-dumping duty on the subject goods originating in or exported from the subject country, recommended termination of the anti-dumping duty on the import of subject goods;

And whereas on the basis of these final findings, the Central Government, *vide* notification No.19/2019-Customs (ADD), dated the 16th April, 2019, published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R 309 (E), dated the 16th April, 2019; rescinded the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 39/2018-Customs (ADD), dated the 20th August, 2018 to terminate the levy of anti-dumping duty on the subject goods as per the said final findings of the designated authority;

And whereas the Hon'ble Gujarat High Court in the matter of SCA No. 5278/2019 vide order dated 24.04.2019, directed to extend the aforesaid notification No. 39/2018-Customs (ADD), dated the 20.8.2018 till 24.6.2019, and on being informed that the said notification No. 39/2018-Customs (ADD), dated 20th August, 2018 had already been rescinded vide notification No. 19/2019-Customs (ADD) dated the 16th April, 2019, the Hon'ble High Court suspended notification No. 19/2019-Customs (ADD) dated the 16th April, 2019, till final disposal of the main petition;

And whereas the Hon'ble High Court of Gujarat in the matter of SCA No. 5278/2019 vide order dated 09.05.2019, again directed that the notification No. 39/2018-Customs (ADD), dated the 20.8.2018 be extended for a further period upto 24.06.2019;

Whereas the Central Government has challenged the aforesaid order vide SLP No. 13302-13304/2019 in the Hon'ble Supreme Court.

Now therefore, in exercise of power conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act read with rules 18 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination Injury), Rules, 1995, and in pursuance of the High Court order dated 09.05.2019, without prejudice to the rights and contentions of the parties to be decided in the writ petition before the Hon'ble High Court of Gujarat and the ultimate outcome of the SLP in the Hon'ble Supreme Court, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 39/2018 Customs (ADD), dated the 20th August, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, part II, Section 3, Sub-Section (i), vide number G. S. R. 786 (E), dated 20th August, 2018, namely:-

In the said notification, for the figures, letters and word "26th April, 2019", the figures, letters and word "24th June, 2019" shall be substituted.

[F.No.354/93/2001-TRU (Pt-IV)]

RUCHI BISHT, Under Secy.